

पत्रांक 19/जी 1-01/2025 (अंश)-127

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग  
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

प्रो० (डॉ०) एन०के० अग्रवाल,  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में

कुलसचिव,

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ।

मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर।

पटना, दिनांक-28/01/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के माह जनवरी, 2026 का सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु गैर-वेतनादि मद में रुपये 170.46/- करोड़ (एक सौ सत्तर करोड़ छियालीस लाख) मात्र सहायक अनुदान की विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग के स्वीकृतादेश संख्या-133 दिनांक 17.07.2025 एवं शुद्धि पत्र संख्या 138 दिनांक 18.07.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों, अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक/घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु गैर-वेतनादि मद में कुल रुपये 1840.45/- करोड़ (एक हजार छः सौ चालीस करोड़ पैंतालीस लाख) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ज्ञातव्य हो कि विमुक्तादेश संख्या 896 दिनांक 24.11.2025 द्वारा राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु को माह दिसम्बर, 2025

हेतु गैर-वेतनादि मद में रूपये 188.29 / - करोड़ (एक सौ अड़सठ करोड़ उन्नीस लाख) मात्र विमुक्त की जा चुकी है।

2 स्वीकृत राशि के अन्तर्गत राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा अल्पसंख्याक घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधियत रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेंतर कर्मियों के माह जनवरी, 2028 हेतु सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु राज्यादेश संख्या 133 दिनांक 17.07.2025 एवं शुद्धि पत्र संख्या 138 दिनांक 18.07.2025 की कंडिका 08 में अंकित शर्तों एवं बंधजों के अधीन विश्वविद्यालयवार निम्नवत् राशि विमुक्त की जा रही है :-

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	विपत्र कोड	पेंशन मद हेतु लेजर आईडी	माह जनवरी, 2028 के लिए सेवान्त लाभ के मद में विमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1	पटना विश्वविद्यालय, पटना	21.2202.03.102.0001.31.08	1905	11.77
2	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	21.2202.03.102.0002.31.08	54	34.41
3	बी०आर०ए० विश्व विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	21.2202.03.102.0003.31.08	3	28.94
4	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	21.2202.03.102.0004.31.08	2150	10.78
5	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	21.2202.03.102.0005.31.08	747	15.40
6	बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	21.2202.03.102.0006.31.08	254	16.18
7	सलिल नारायण मिश्रिता विश्वविद्यालय, दरभंगा	21.2202.03.102.0011.31.08	163	29.66
8	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	21.2202.03.102.0012.31.08	832	2.17
9	फाटसिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	21.2202.03.102.0024.31.08	16	12.92
10	पूर्वियों विश्वविद्यालय, पूर्वियों	21.2202.03.102.0025.31.08	161	5.87
11	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	21.2202.03.102.0027.31.08	250	2.36
कुल राशि				170.46

उक्त स्तम्भ 5 में वर्णित गैर वेतनादि मद की राशि से उक्त अवधि में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान के साथ-साथ इस अवधि में उद्भूत अन्य देय पावनाओं यथा उपादान, अर्जितावकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता इत्यादि का भुगतान किया जा सकेगा।



कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिये स्वीकृतादेश संख्या/विमुक्तादेश संख्या 78 दिनांक 03.08.2025 द्वारा रुपये 59.43 करोड़ विमुक्त की गयी राशि से माह जनवरी, 2026 हेतु रुपये 3.43 करोड़ सेवान्त लाभ मद में भुगतान करेगा एवं शेष राशि इस विमुक्तादेश के साथ विमुक्त की जा रही है।

तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को विभागीय पत्रांक 24 दिनांक 08.01.2026 द्वारा निदेश गया है कि विश्वविद्यालय अपने पी0एल0खाता में उपलब्ध राशि से सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के माह दिसम्बर, 2025 एवं जनवरी, 2026 के लिये पेंशनादि मद में रुपये 39.34 करोड़ (उन्नचालीस करोड़ चौतीस लाख) मात्र का भुगतान करने की कार्यवाही करेगा।

3. वर्तमान में विमुक्त राशि से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को गैर वेतनादि मद में राशि का भुगतान निम्नांकित शर्तों एवं बंधेजों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा -

(i) सेवान्त लाभ का भुगतान वैसे ही शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए हैं।

(ii) राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 592, दिनांक 08.03.2019 एवं अधिसूचना संख्या 1871 दिनांक 24.08.2019 तथा सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाये पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 593 दिनांक 08.03.2019 में अंकित निदेशों के आधार पर किया जाएगा।

(iii) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की धारा- (02) के अनुसार केवल ऐसे प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक कोटि में माना जाना है, जो दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर दिनांक 18.09.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना की अनुमति/सहमति से नियुक्त हुए थे।

(iv) शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिनांक-01.04.81 के पहले तथा 31.12.95 के बाद अनुमान्य नहीं है तथा इसमें राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित सभी नियमों, बन्धेजों तथा अन्य सभी शर्तों का विश्वविद्यालय द्वारा दृढतापूर्वक पालन किया जाना है। इसमें किसी भी प्रकार का डील या फेरबदल विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा। साथ ही

यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति का लाभ मिल चुका हो उन्हें नियमों के विपरीत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(v) स्वीकृत राशि का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर पर किये जाने के समय माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 5859/1996 में दिनांक 21.02.2000 तथा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 9839/2001 में दिनांक 18.10.2001 को पारित न्याय निर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस क्रम में विभागीय स्तर से निर्गत पत्र संख्या 2086 दिनांक 09.11.2012 में अंकित निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(vi) वैसे मामले जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मियों को भुगतान करने का स्पष्ट न्यायादेश है, तो उन मामलों में भी उपलब्ध करायी गयी राशि से विभाग से आदेश प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(vii) विमुक्त की गयी सेवान्त लाभ की राशि में से देयता के पश्चात यदि राशि अवशेष रहती है तो विश्वविद्यालय के वैसे सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाये सेवान्त लाभ का भुगतान विभागीय पत्रांक 699, दिनांक 19.03.2019 द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में वेतन सत्यापन कोषांग से पूर्व अंकेक्षण कराकर किया जा सकेगा जो विश्वविद्यालय सेवा से विधिवत् रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्वीकृत पदों के विरुद्ध भुगतान अनुमान्य हो।

(viii) अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन सत्यापन कोषांग से वेतन सत्यापनोपरान्त ही पेंशनादि का भुगतान होगा। वेतन सत्यापन कोषांग से सत्यापन न होने पर औपबधिक सेवान्त लाभ/पेंशन देय होगा।

(ix) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा घाटानुदानित संबद्धता प्राप्त शास्त्री एवं उपशास्त्री महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों को नियमित सेवान्त लाभ का भुगतान सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 9728/2017 डा० जितेन्द्र नारायण सिंह एवं अन्य में दिनांक 23.07.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में किया जाएगा।

(x) उपर्युक्त कडिकाओं में वर्णित शर्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा न केवल संबंधित विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान स्थगित किया जाएगा, बल्कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा -35 (3) तथा 52 (3) तथा अन्य विश्वविद्यालयों

के मागलों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 35 (3) एवं 52 (8) के अंतर्गत अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गयी राशि संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमान्ड रिक्वरी एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही की जायेगी एवं उनके विरुद्ध न केवल प्रशासनिक कार्यवाही बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

4. विमुक्त की जा रही राशि से सेवानिवृत्ति लाभ के मद में भुगतान के समय विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि त्रि लाभ योजना के अधीन विभागीय राज्यादेशों एवं परिनियम में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल किसी सेवानियुक्त शिक्षक को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

5. सेवान्त लाभ के लिए विमुक्त की जा रही राशि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt Petition (C) No 1188/2018 in C.A. No-2703/2017 में दिनांक 12.02.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में उक्त कर्मियों का पेशन भुगतान भी नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय के फुलसधिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

6. राशि की निकासी के कम में कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित प्रमाण पत्र कोषागार को दिया जाएगा:-

(क) " चतुर्थ घरण अंतर्गत महाविद्यालय में माननीय न्यायमूर्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन के अनुशंसा के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6098/1997 में दिनांक 12.10.2004 को पारित न्यायादेश के पश्चात सामंजित किये गये कर्मियों के अतिरिक्त अन्य कर्मियों का विपत्र नहीं है।"

(ख) " न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग के अनुशंसा के आलोक में सिविल अपील संख्या 2703/2017 में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय निदेश के उपरान्त सामंजित कर्मियों के नियमित वेतन अंतर्गत अन्य अतिरिक्त कर्मियों का विपत्र नहीं है।"

7. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. विश्वविद्यालय द्वारा विमुक्त की जा रही राशि का विघलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा।

9. सभी पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों के संबंध में आवश्यक सूचनाएँ शीघ्र Pay Roll Management Portal पर आवश्यक ही संघारित कर ली जाएगी।



10 विश्वविद्यालय द्वारा विमुक्त की जा रही राशि का व्यय समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

11 विश्वविद्यालय 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित संपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को निश्चितरूपेण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य वैधिक कृत्य सरसमय नहीं किये जाने की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित कुलपति/कुलसचिव/वित्त परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी की होगी।

12 वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 8487 दिनांक 21.07.2017 के आलोक में विमुक्त की जा रही राशि संबंधित विश्वविद्यालयों के पी0एल0 खातों में उपलब्ध करा दी जाएगी।

13 राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998, वित्तीय वर्ष 2023-24 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था संबंधित पत्रांक 3151 दिनांक 31.03.2023 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जाएगा।

14. विमुक्तादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या 12888 दिनांक 03.12.2024 की कड़िका 06 (छः) के आलोक में निर्गत की जा रही है।

15. प्रत्येक माह उतनी ही राशि की निकासी कर पी0एल0 खाते में अंतरण किया जाएगा, जितना की उक्त माह में दायित्वों के भुगतान हेतु आवश्यक होगा।

16. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण करें।

विश्वासभाजन

*[Handwritten Signature]*  
28.01.2026

(एम0के0 अग्रवाल)

निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक-19/जी 1-01/2025 (अंश) 127/

पटना, दिनांक-28/01/2026

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आशुलिपिक/निदेशक, उच्च शिक्षा के आशुलिपिक/आय-व्यय पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-09 वित्त विभाग/ कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय (मौलाना मजहूरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर)/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी-5, 14 एवं 15 शिक्षा विभाग/लेखाशाखा, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*  
28.01.2026  
निदेशक, उच्च शिक्षा